संख्या- 10/2024/I/518024/2024/004-71-4002-099-4-2023

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2023-24/2864, दिनांक-26.12.2023 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/841, दिनांक-29.01.2024 के द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-71 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना '' के मानक मद-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में पुनर्विनियोग (बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार) के माध्यम उपलब्ध रू0 500.00 लाख (रूपए पांच करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
5. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
7. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
8. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050371 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3(तीन प्रतियों में)
10. उप सचिव/नोडल अधिकारी, (बजट) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।